





दिनांक	आज्ञा पत्र	
	<p>अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलान्त स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उप खण्ड अधिकारी राभगढ़ बोखावाटी का निर्णय दिनांक 13-5-2016 को खारिज किया जाकर प्रकरण अदालत मातहत को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि वह मधकारान को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर देकर अपना निर्णय पुनः पारित करें मधकार अदालत मातहत में दिनांक 31-7-2018 को उपस्थित हों।</p> <p>निर्णय सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">         20/6/18        पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी        सीकर     </p>	